Witness No-----**1**----for **वादी साक्षी** Deposition taken the--**04-10-2024**--day of शुक्रवार Witness's apparent age—56 **वर्ष**- States on affirnation- शपथपूर्वक my name is— द्वारिका यादव Son/D/W of ---कायस्थ लाल यादव -- occupation—मजदूरी - Add – ग्राम वार्ड नं० 14 अकलतरा तहसील अकलतरा जिला जांजगीर चांपा (छ०ग०)

नोट – वादी द्वारा पूर्व में अपना शपथपत्रीय कथन आदेश 18 नियम 04 व्यप्रसं दिनांक 16/10/2023 को प्रस्तुत किया गया है, जिसमे कंडिका क्र. 01 से 07 कथन प्रस्तुत है।

साक्ष्य प्रारंभ समय 12:57 बजे

8– मेरी मां खेलबाई के द्वारा सुद्धूराम से खरीदी गई ग्राम कोटगढ स्थित भूमि की रजिस्ट्री बैनामा दिनांक 14/10/1991 मूलप्रति तीन पन्ने में वाद में प्रस्तुत किया हूं जो **प्रपी–1** है, मेरी मां खेलबाई के द्वारा महेत्तर लाल से खरीदी गई ग्राम कोटगढ स्थित भूमि की रजिस्ट्री बैनामा दिनांक 14/10/1991 मूलप्रति तीन पन्ने में वाद में प्रस्तुत किया हूं जो **प्रपी–2** है, मेरी मां खेलबाई के द्वारा कमान सिंह से खरीदी गई ग्राम कोटगढ स्थित भूमि की रजिस्ट्री बैनामा दिनांक 14/10/1991 मूलप्रति तीन पन्ने में वाद में प्रस्तुत किया हूं जो **प्रपी–3** है, लक्षिमन, लच्छीराम द्वारा निष्पादित सहमति पत्र दिनांक 14/04/1989 मूल प्रति जो **प्रपी–4** है, मेरी मां खेलबाई के द्वारा बाबूलाल से खरीदी गई ग्राम कोटगढ स्थित भूमि की रजिस्ट्री बैनामा दिनांक 06/04/1992 मूलप्रति चार पन्ने में वाद में प्रस्तुत किया हूं जो **प्रपी–5** है, भगवती बाई द्वारा निष्पादित सहमति पत्र दिनांक 16/04/1992 मूल प्रति जो **प्रपी–6** है, मेरी मां खेलबाई के द्वारा राजकुमार सिंह से खरीदी गई ग्राम कोटगढ स्थित भूमि की रजिस्ट्री बैनामा दिनांक 07/06/1989 सत्यापित प्रति तीन पन्ने में वाद में प्रस्तुत किया हूं जो **प्रपी–7** है, मेरी मां खेलबाई के द्वारा उदय कुमार सिंह से खरीदी गई ग्राम कोटगढ स्थित भूमि की रजिस्ट्री बैनामा दिनांक 07/06/1989 सत्यापित प्रति

दो पन्ने में वाद में प्रस्तुत किया हूं जो **प्रपी–8** है, मेरे द्वारा ग्राम कोटगढ के नामांतरण पंजी क्र० 16 वर्ष 1998 की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्रपी–9**, मेरे द्वारा ग्राम कोटगढ के नामांतरण पंजी क्र० 17 वर्ष 1998 की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्रपी–10**, मेरे द्वारा ग्राम कोटगढ के नामांतरण पंजी क्र० 18 वर्ष 1998 की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्रपी–11**, मेरे द्वारा ग्राम कोटगढ के नामांतरण पंजी क्र० 19 वर्ष 1998 की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्रपी–12**, मेरे द्वारा ग्राम कोटगढ के नामांतरण पंजी क्र० 12 वर्ष 1990 की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्रपी–13**, मेरे द्वारा ग्राम कोटगढ के नामांतरण पंजी क्र० 13 वर्ष 1990 की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्रपी–14**, ग्राम कोटगढ के बी–1 वर्ष 2013–14 खेलबाई वगैरह के शामिल खाता की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्रपी–15**, न्यायालय नायब तहसीलदार अकलतरा के ज्ञापन क्र० 24/02/2021 की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्रपी–16**, न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जांजगीर के राजस्व मामले की नोटिस की सत्यापित प्रति **प्रपी–17**, न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जांजगीर के प्रकरण क्र० 202107060700112/अ6/2020–21 में आदेश पत्र 19/09/2022 की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्रपी–18**, ग्राम कोटगढ तहसील अकलतरा के बी–1 वर्ष 2019–20 आत्माराम वगैरह के शामिल खाता की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्रपी–19** जो चार पन्ने में है, ग्राम कोटगढ तहसील अकलतरा के खसरा वर्ष 2019–20 आत्माराम वगैरह के शामिल खाता की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्रपी–20** जो दो पन्ने में है, ग्राम अकलतरा तहसील अकलतरा के बी–1 वर्ष 2019–20 द्वारिका प्रसाद पुत्र खेल बाई के शामिल खाता की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्रपी–21** जो एक पन्ने में है, कायस्थ लाल एवं खेलबाई की मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति पेश किया हूं ।

प्रतिपरीक्षण श्री एस०डी० मिश्रा अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी क्र 1 से 7 –

9– यह कहना सही है कि कायस्थ लाल मेरे एवं प्रतिवादीगण क्र 1 से 7 के पिता जी है । यह कहना सही है कि कायस्थ लाल राजस्व विभाग में राजस्व निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे । कायस्थ लाल का मूल ग्राम कोटगढ है । मैं कोटगढ में कायस्थ लाल की पैतृक संपत्ति कितनी थी मैं नहीं बता सकता । कायस्थ लाल से मेरी मां का विवाह कब हुआ मैं नही बता सकता । मेरी मां कायस्थ लाल के साथ कोटगढ में कभी भी नहीं रही है । मैं यह भी नही बता सकता कि मेरी मां का विवाह

कायस्थ लाल के साथ किस ग्राम में हुआ था, साक्षी स्वतः कहा कि मेरी मां मुझे कभी भी नहीं बताई है ।

10– मेरी आयु वर्तमान में 56 वर्ष है । आत्माराम मेरे से उम्र में लगभग 10 वर्ष बडे है । यह कहना सही है कि कायस्थ लाल एवं गायत्री बाई के संसर्ग से प्रतिवादी क्र० 1 से 7 तक उत्पन्न हुये है । मेरी मां खेलबाई मिल एवं ईटा भट्ठा में कार्य करती थी । मेरी मां एवं मैं तारा पाडे अकलतरा वाले के इट्टा भट्ठा में एवं लालजी कौशिक के मिल में कार्य करते थे । लालजी कौशिक के मिल में वर्ष 1985 के पूर्व से काम करते आ रहे है । मैं भी वर्ष 1985 के पूर्व से अपनी मां के साथ काम करने कौशिक के मिल में आ रहा था । मेरी जन्म तिथि 13/04/1970 है । मैं तीसरी–चौथी कक्षा तक पढा हूं ।

11– मेरी मां खेलबाई मेरी पिता कायस्थ लाल के साथ किस वर्ष से किस वर्ष तक थी मैं नहीं बता सकता । यह कहना गलत है कि कायस्थ लाल हमारा एवं प्रतिवादीगण का भरण पोषण करते थे । साक्षी स्वतः कहा कि मैं एवं मेरी मां अपना भरण पोषण स्वंय करते थे । मैं ग्राम कोटगढ में मेरी मां द्वारा खरीदी गई भूमि का खसरा नं० नही बता सकता। साक्षी स्वतः कहा कि रकबा के हिसाब से बता सकता हूं । कमान सिंह से 19 डिसमील, सुद्धुराम से 4 डिसमील, बाबूलाल से 17 डिसमील, महेत्तर से 34 डिसमील, महेत्तर से 4 डिसमील, उदय से 65 डिसमील, राजकुमार से 40 डिसमील जमीन खरीदी है । यह कहना गलत है कि मैं मेरी मां द्वारा ग्राम कोटगढ में खरीदी गई भूमि किस सन में खरीदी गई नहीं बता सकता ।

12– मेरी मां द्वारा उदय से वर्ष 1989 में, महेत्तर से वर्ष 1991 में दोनो जमीन, बाबूलाल से वर्ष 1992 में जमीन खरीदा गया है । यह कहना गलत है कि मैंने मेरी मां द्वारा खरीदी गई भूमि का वर्ष बताया है वह गलत है । यह कहना गलत है कि ऊपर में बताये गये वर्ष के पूर्व से उक्त जमीन को कायस्थ लाल खरीद चुका था । यह कहना गलत है कि मेरी मां के खरीदी दिनांक से ऊपर उपरोक्त वर्णित वाद भूमि पर कायस्थ लाल कब्जा कास्त कर रहा था । साक्षी स्वतः कहा कि जब से मेरी मां खरीदी है तब से मेरी मां और मैं कब्जा करते आ रहे है । यह कहना गलत है कि कायस्थ लाल के फौत होने के बाद से आत्माराम खेती बाडी करते चला आ रहा है । साक्षी स्वतः कहा कि मैं और

मेरी मां खेती बाडी और कब्जा करते आ रहे है ।

13– मैं ऊपर वर्णित वाद भूमियों का चौहद्दी बता सकता हूं । कमान सिंह वाली भूमि का चौहद्दी पश्चिम में मुनिया भरत सिंह, पूर्व में आत्माराम, उत्तर में गली, दक्षिण में बलौदा अकलतरा मेन रोड है । सुद्धुराम वाली भूमि का चौहद्दी पूर्व में अंजोर सिंह, पश्चिम अहिल्या बाई, उत्तर में बहोरन, दक्षिण में दरबार सिंह की भूमि है । बाबूलाल वाली भूमि का चौहद्दी पूर्व में पोल्ट्री फार्म जांजगीर वाला, पश्चिम लील सिंह, उत्तर में लील सिंह, दक्षिण में बाबूलाल की भूमि है । महेत्तर वाली 34 डिसमील भूमि का चौहद्दी पूर्व में तुलसी, पश्चिम जगन्नाथी बैगा, उत्तर में रामाधार, दक्षिण में तुलसी की भूमि है । राजकुमार वाली भूमि का चौहद्दी पूर्व में मिलाप सिंह कंवर, पश्चिम मंगल सिंह, उत्तर में मेन रोड, दक्षिण में पितर लाल की भूमि है । उदय वाली भूमि का चौहद्दी पूर्व में खेम सिंह, पश्चिम राजकुमार धीवर, उत्तर में अहिल्या बाई, दक्षिण में करिया केंवट की भूमि है । महेत्तर वाली भूमि 5 डिसमील का चौहद्दी पूर्व में डमरू, पश्चिम संतोष, उत्तर में गली, दक्षिण में गली है ।

टीपः– इसी स्तर पर चायकाल होने से साक्षी का प्रतिपरीक्षण चायकाल तक स्थगित किया गया ।

समय 02:00 बजे

साक्षी को वाचित सही होना स्वीकृत

सही/–

(जितेन्द्र प्रधान)
व्य०न्या०वरिष्ठ श्रेणी, अकलतरा
जिला जांजगीर चांपा छ०ग०

हस्ताक्षर गवाह

मेरे निर्देशानुसार टंकित

सही/–

(जितेन्द्र प्रधान)
व्य०न्या०वरिष्ठ श्रेणी, अकलतरा
जिला जांजगीर चांपा छ०ग०

टीपः– चायकाल पश्चात साक्षी का प्रतिपरीक्षण पुनः प्रारंभ किया गया ।

14– यह कहना गलत है कि संपूर्ण वाद भूमि शामिल खाते में दर्ज है । यह कहना गलत है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है । यह कहना गलत है कि वाद भूमि पर मैं एवं मेरी मां कभी कब्जे में नहीं रहे है । यह कहना गलत है कि वाद भूमि को मेरी मां खेलबाई

के नाम पर वाद भूमि को कायस्थ लाल द्वारा क्रय किया गया है । यह कहना सही है कि मैंने वाद भूमि को क्रय करने के लिए राईस मिल एवं इट्टा भट्ठा से काम करने से हुये इनकम के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हूं । यह कहना गलत है कि मेरी मां कभी इट्टा भट्ठा में काम नहीं की है ।

15– यह कहना सही है कि मेरे द्वारा ग्राम कोटगढ के वाद भूमि का बी–1, खसरा प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है । साक्षी स्वतः कहा कि वह गलत दर्ज हुआ है । यह कहना सही है कि उक्त नाम वर्ष 2015 में ही राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ है । यह कहना सही है कि वाद भूमि के फसल को मैं कभी भी शासकीय सोसायटी में विक्रय नहीं किया हूं । यह कहना सही है कि प्रतिवादी क्र 1 आत्माराम द्वारा वाद भूमि के फसल को सोसायटी में विक्रय किया जाता है । यह कहना सही है कि उक्त वाद भूमि के फसल को शासकीय सोसायटी में विक्रय किये जाने के संबंध में मैंने कोई आपत्ति नहीं किया है । यह कहना सही है कि जो फसल बोता है वह उसे काटने का अधिकारी होता है । यह कहना सही है कि जो भूमि जिसके नाम पर होता है वही व्यक्ति सोसायटी में अपने खाते पर फसल विक्रय करता है । यह कहना सही है कि वाद भूमि पर प्रतिवादी क्र० 1 का नाम दर्ज है इसी कारण वह सोसायटी में वाद भूमि के फसल को विक्रय करते आ रहा है ।

16– मैं वाद भूमि के फसल का बंटवारा प्रतिवादी से कभी नहीं मांगा हूं । साक्षी स्वतः कहा कि मैं वाद भूमि पर कब्जा कर रहा हूं । मैं संपूर्ण वाद भूमि पर स्वंय खेती करता हूं । मैं तीन खेतो को छोडकर संपूर्ण वाद भूमि पर धान की फसल बोते चला आ रहा हूं । यह कहना सही है कि मैं वाद भूमि पर फसल के लिए खाद, बीज इत्यादी क्रय करता हूं । साक्षी स्वतः कहा कि मैं प्राईवेट दुकान से खाद बीज खरीदता हूं । यह कहना सही है कि निजी या शासकीय खाद बीज दुकान से खाद, बीज खरीदने पर दुकानदार द्वारा बिल दिया जाता है । यह कहना सही है कि मैं वाद भूमि पर खाद, बीज छिडकाव हेतु क्रय करने के संबंध में कोई भी बिल प्रस्तुत नहीं किया हूं ।

17– यह कहना गलत है कि मेरी मां से पूर्व प्रतिवादीगण की मां गायत्री का विवाह हुआ है । मेरी मां का कायस्थ लाल के साथ हुये विवाह के लगभग 15 वर्ष बाद मैं पैदा हुआ हूं । मैं लगभग 7–8 वर्ष का था तभी से काम करने जा रहा हूं । यह कहना गलत है कि 7–8 वर्ष के बच्चे को कोई भी काम में

नहीं रखता । साक्षी स्वतः कहा कि होटल इत्यादी में काम में रखा जाता है । मैं भी मकुंदा यादव एवं गौटिया यादव के होटल में काम किया हूं । यह कहना सही है कि मैं वाद पत्र तैयार करते समय अपने अधिवक्ता को वाद भूमि को क्रय करने के लिए ईट्टा भट्ठा एवं राईस मील से प्राप्त आय के बारे में नहीं बताया हूं । यह कहना गलत है कि मैं एवं मेरी मां कभी भी ईट्टा भट्ठा एवं राईस मील में काम नहीं किये है इस कारण अपने अधिवक्ता वाद पत्र तैयार करते समय उक्त बाते नहीं बताया हूं । साक्षी स्वतः कहा कि अधिवक्ता ने नहीं पूछा इसलिए मैं नहीं बताया ।

18– यह कहना सही है कि वाद भूमि को मेरे नाम दर्ज कराने के लिए अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था । यह कहना गलत है कि उक्त प्रकरण में मै और मेरी मां पेशी में जा रहे थे । साक्षी स्वतः कहा कि मेरी मां की मृत्यु हो गई थी इस कारण मैं ही अकेले पेशी में जाता था। यह कहना सही है कि मेरा उक्त आवेदन अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा वर्ष 2022 में खारिज कर दिया गया था ।

19– यह कहना गलत है कि वाद भूमि को विक्रय करने वाले विक्रेताओ को गवाह के रूप में प्रस्तुत नहीं किया हूं । साक्षी स्वतः कहा कि मैंने उदय को विक्रेता गवाह के रूप में पेश किया हूं । यह कहना सही है कि मैं वाद भूमि के किसी भी रजिस्ट्री में रजिस्ट्रार के समक्ष नहीं गया हूं । यह कहना सही है कि मैंने वाद भूमि के विक्रय राशि को किसके द्वारा दिया गया है मैंने नहीं देखा है । साक्षी स्वतः कहा कि मेरी मां द्वारा मुझे बताया गया है कि मैंने वाद भूमि को क्रय कर विक्रय राशि अदा किया है। यह कहना सही है कि मेरी मां पढी–लिखी नहीं है ।

20– वर्ष 1985 के पहले 50–50 रूपये रोजी मैं और मेरी मां पाते थे । मैं यह नहीं बता सकता कि महेत्तर के बिक्रीत वाद भूमि को मेरी मां द्वारा कितने रूपये में क्रय किया गया है । मुझे इस बात की जानकारी है कि पांच–छह लाख रूपये पर इनकम टेक्स लागू होता है । यह कहना सही है कि मैं एवं मेरी मां के खाते में कभी भी एक लाख या उससे अधिक की राशि जमा नहीं रहा है ।

21– मैं अपने पिता कायस्थ लाल की मृत्यु का निश्चित तिथि नहीं बता सकता, वर्ष 1997 में उनकी मृत्यु हुई है । यह कहना सही है कि मेरी पिता के मृत्यु के बाद मेरी मां द्वारा कोई भूमि क्रय नहीं

किया गया है । यह कहना सही है कि कायस्थ लाल के मृत्यु पश्चात मेरी मां का आय का कोई जरिया नहीं था इस कारण कोई भूमि नहीं खरीदी है । साक्षी स्वतः कहा कि आवश्यकता नहीं थी इस कारण नहीं खरीदी ।

टीपः– इसी स्तर पर प्रतिपरीक्षण के दौरान प्रतिवादी क्र० 1 से 7 तक अधिवक्ता द्वारा समय चाहा गया, समय दिया गया ।

समय 04:10 बजे

साक्षी को वाचित सही होना स्वीकृत

सही/–

(जितेन्द्र प्रधान)
व्य०न्या०वरिष्ठ श्रेणी, अकलतरा
जिला जांजगीर चांपा छ०ग०

हस्ताक्षर गवाह

मेरे निर्देशानुसार टंकित

सही/–

(जितेन्द्र प्रधान)
व्य०न्या०वरिष्ठ श्रेणी, अकलतरा
जिला जांजगीर चांपा छ०ग०